

## FORM NO -III

फर्द अहकाम .

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

डीडवाना-कुचामन

प्रार्थी

फतेह मोहम्मद पुत्र स्व. फेज मोहम्मद,  
जाति साई (फकीर) मुसलमान, निवासी  
पिलती स्कूल के पास, डीडवाना वगैरह।

बनाम


अप्रार्थीगण

तहसीलदार, डीडवाना वगैरह।

किस्म मुकदमा स्थगन प्रार्थना पत्र

संख्या... 54 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
06.05.2025	<p>प्रार्थीगण फतेह मोहम्मद पुत्र स्व. फेज मोहम्मद, जाति साई (फकीर) मुसलमान, निवासी पिलती स्कूल के पास, डीडवाना वगैरह ने तहसीलदार, डीडवाना वगैरह के विरुद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एक पक्षीय बहस वकील प्रार्थीगण श्री सैयद अल्ताफ हुसैन को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता के द्वारा खसरा नम्बर 677 रकबा 40 बीघा में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 13.06 बीघा का बैचाण किया था परन्तु नामान्तरण सम्पूर्ण रकबा 40 बीघा का भर दिया। बैचाण की प्रति भी वकील प्रार्थीगण ने पेश की। अतः वाके सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादुबासनी तहसील डीडवाना के पुराने खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा, जिसके वर्तमान खसरा सं0 966 रकबा 4.700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1357/966 रकबा 1.1410 हैक्टेयर कुल रकबा 5.8810 हैक्टेयर की यथास्थिति बनाये रखने तथा बैचाण नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें। अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा।</p> <p>एक पक्षीय बहस के तर्कों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा व सन्तुलन का प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादुबासनी तहसील डीडवाना के पुराने खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा, जिसके वर्तमान खसरा सं0 966 रकबा 4.700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1357/966 रकबा 1.1410 हैक्टेयर कुल रकबा 5.8810 हैक्टेयर में आगामी पेशी तक बैचाण नहीं करें एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.05.2025 को पेश हो।</p>	

  
जिला कलक्टर,  
डीडवाना-कुचामन



12/5/25

पत्रावली पेशा हुई। वकील डाक्टर 3001  
दुर्गा सं 01 का 03 बावजूद तामिल  
ने व्यावसाय में अनुपस्थित। दर: इनके  
विरुद्ध एक परीय कार्रवाई अग्रज में  
लाई गयी है। दुर्गा सं 4, 5, 6  
की तरफ से वकील श्री हरछुल्ल राव  
ने वकालतनामा पेश किया। अनुरोध  
द्वारा विवेचनाय कार्रवाई पेशी तक  
उपरोक्त गयी है। पत्रावली वाले जनांक  
दिनांक 27/5/25 को पेश हो।

जिला कलेक्टर  
है। बाना-कुचामन

27/5/25

पत्रावली पेशा हुई।  
01 सं में कार्रवाई कार्य स्थापित  
करा है। पत्रावली दिनांक 3/6/25 को  
पेश हो।

3/6/25

पत्रावली पेशा हुई।  
दुर्गा सं 02 मंगलाराम की तरफ से  
वकील श्री अनुरा मिश्र ने प्रार्थना पत्र  
09/07/2024 को पेश किया। निम्ने  
वकील डाक्टर ने NO objection दिया।  
दर: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।  
दुर्गा सं 02 की तरफ से वकील  
श्री अनुरा मिश्र ने वकालतनामा पेश  
दिया। पत्रावली वाले जनांक  
9/6/25 को पेश हो।

जिला कलेक्टर  
है। बाना-कुचामन

अज अदालत .....

बनाम

केस मुकदमा-अपील/प्रा.पत्र/वाद/मुंतकिल प्रा.पत्र/निगरानी/रेफरेंस संख्या/विविध..... सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व जो इस हु
	<p>9/6/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 16/6/25 को पेश हो।</p> <p><b>जिला कलक्टर</b> डीडवाना-कचामन</p> <p>16/6/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान जीवानी कर्मकारी अशोक कुमार कर्म से लगे हैं पत्रावली दिनांक 23/6/25 को पेश हो।</p> <p>23/6/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान जीवानी कर्मकारी अशोक कुमार स्थानान्तरण हो चुका है पत्रावली दिनांक 30/6/25 को पेश हो।</p> <p>30/6/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 9/7/25 को पेश हो।</p> <p><b>जिला कलक्टर</b> डीडवाना-कचामन</p>	<p>300621</p>

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अ. अ.

9/7/21

पत्रावली पेश हुई।  
इसी इतवार को एक दलील खारिज  
हो चुकी है। दलील खारिज हो जाने  
से इस शर्तनाम पर रा कोट कोर्ट  
नहीं रह जाय है। अतः शर्तनाम पर  
खारिज विषय लागू है। पत्रावली  
के साथ सुपाइ गेवट दालिखत फाइल  
में।

09.07.21  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन